न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 5/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/35)

निर्णय दिनांकः– 11-2-26

1. महबूब अली उर्फ महबूब खां पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लाल खां उम्र 64 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सिंजगुरू तहसील नोख जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–01–2005
ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री लेखराम धतरवाल, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छरतगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 12–01–2005 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलांट द्वारा भूमिहीन आवंटन हेतु वर्ष 1984 में तहसील पूगल में कृषि भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन करने के पश्चात् काफी वर्षो तक अपने आवेदन बाबत कोई नोटिस कोई डाक अथवा कोई सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट द्वारा बार–बार सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ मुकाम बीकानेर में अपने द्वारा किये गये आवंटन के संबंध में सूचना चाही, परन्तु अपीलांट को कोई संतोषजनक जवाब नही मिला।

अपीलांट द्वारा अपने आवेदन के संबंध में क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी नही मिलने पर अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में अपने वकील के मार्फत दिनांक 24–12–2024 को नकल प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 03–01–2025 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को पता चला की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–01–2005 को ही अपीलांट का भूमिहीन का प्रार्थना पत्र अपीलांट के नाबालिंग होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र अपीलांट के नाबालिंग होने के आधार पर खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा जब आवेदन प्रस्तुत किया जब अपीलांट बालिंग था, अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उमं 22 वर्ष अंकित की है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को उम्र संबंधी दस्तावेजात पेश करने बाबत कभी कोई सूचना नही दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि को आवंटन करवाने हेतु योग्य है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन नाबालिंग होने के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में समस्त सूचना अंकित कर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी भूमिहीन का प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 12–01–2005 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 05–03–1984 को प्रस्तुत किया गया उस समय प्रार्थी/अपीलांट वयस्क नही था। अतः प्रार्थी/अपीलांट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय नाबालिक होने से खारिज किया जाता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपनी आयु 22 वर्ष अंकित की है जिसकी पुष्टी शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित कर की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलांट/प्रार्थी की आयु आवेदन के वक्त 18 वर्ष से कम थी। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में आधार कार्ड की प्रति पेश की है जिसमें अपीलांट की जन्म तिथि 01–01–1960 अंकित है। अपीलांट द्वारा आवेदन दिनांक 02–03–1984 को प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो फॉर्म के साथ ऐसा कोई निश्चयात्मक सबुत उपलब्ध नही है जिससे कि अपीलांट की जन्मतिथि निर्विवाद रूप से साबित होती हो। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट की उम्र तय करने का एकमात्र दस्तावेज आधार कार्ड है। जिसके आधार पर वरवक्त आवेदन अपीलांट की आयु 24 वर्ष होना प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा स्वयं आवेदन में अपनी आयु 22 वर्ष दर्शाई है। फोटो फार्म में अपीलांट की आयु 35 वर्ष लिखी गई है। फोटो फार्म कब भरा गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसका कोई उल्लेख नही है। फोटो फार्म पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर अंकित है जिसके नीचे कोई तारीख अंकित नही है। इस फोटो फार्म पर पटवारी के हस्ताक्षर के नीचे अंकित तारीख में वर्ष 2002 अंकित है। ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति अपनी उम्र सामान्यतः सही सही नही बता पाते है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई संदेह से परे तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नही था जिससे कि वर्ष 2005 में अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का आवेदन उम्र के आधार पर खारिज किया जा सके। अपीलाधीन आदेश द्वारा साईक्लोस्टाईल फार्म में छपे छपाये प्रारूप पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपनी उम्र के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वरवक्त आवेदन अपीलांट की उम्र के संबंध में जॉच करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-2-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर